न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेश कुमार हरसौलिया (आर.ए.एस)
वाद पत्र कमांकः— 25/2024(96/2018)

1. वीरेन्द्र सिंह पुत्र चिरमोली राम जाति जाटव निवासी फतेहपुर तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास जरिये नायब तहसीलदार उच्चैन।
2. जल्लो पुत्र परसादी
3. राजेन्द्र सिंह पुत्र मनोहरी
4. लाखन सिंह
5. गजेन्द्र नवासा मनोहरी समस्त जातियान जाटव निवासी फतेहपुर तहसील उच्चैन।

.....प्रतीवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,89 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट वादी

निर्णय **दिनांकः—26.12.2025**

वादी ने यह वाद पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि हम वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 5 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 280/1—03, 286/1—02, 1037/3—03, 1048/4—12 कुल किता 4 कुल रकवा 10 बीघा बाके ग्राम फतेहपुर में स्थित है। उक्त विवादित आराजी में में वादी हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड हूँ उक्त आराजी मुझ वादी को जरिये विरासतन मेरे पिता से उनकी मृत्यू के पश्चात प्राप्त हुई थी तब से लेकर आज तक में वादी उक्त आराजी पर काबिज होकर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा हूँ। उक्त आराजी पूर्व में मुझ वादी के पिता चिरमोली के नाम दर्ज थी वक्त विरासत जब नामान्तरण दर्ज किया गया तो हल्का पटवारी ने मेरा नाम वीरी पुत्र चिरमोली दर्ज कर दिया जबकि वास्तविकता यह है कि मुझ वादी का सही नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, वोटर आईडी एवं अन्य सभी पहचान दस्ताबेजात में वीरेन्द्र सिंह दर्ज है। जब वादी दिनांक 16.12.2018 को अपनी आराजी को बैंक में रहन रख लोन लेने बैंक मैंनेजर के पास पहूँचा तो बैंक मैनेजर ने लोन देने से साफ इन्कार कर दिया एवं जमाबंदी में नाम सही कराने के लिये कहा जिसके बाबत् प्रार्थी/वादी तहसीलदार उच्चैन के पास गया तो उन्होंने कोर्ट से आदेश लाने के लिये कहा जिसके कारण प्रार्थी/वादी ने उक्त वादपत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 26.06.2024 को प्रतिवादीगण संख्या 2 लगा0 5 की ओर से श्री पुरूषोत्तम सिनसिनवार एडवोकेट ने वकालतनाम पेश किया। दिनांक 07.08.2025 को प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 5 के

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार उच्चैन के द्वारा जबाव पेश कर निवेदन किया कि बाके ग्राम फतेहपुर की जमाबंदी सम्बत् 2075–78 में ख.नं. 316, 327, 1231, 1250, 1251 में खातेदार वादी का नाम वीरी पुत्र चिरमोली दर्ज रिकार्ड है एवं इससे पूर्व की जमाबंदी संबत् 2074 में भी उक्त खसरा नम्बरान मे वादी खातेदार का नाम वीरी पुत्र चिरमोली दर्ज रिकार्ड है जमाबंदी सम्बत् 2069–72 क्षेत्रफल बीघा–बिस्वा में ख. नं. 280, 286, 1037, 1048 किता 4 में भी वादी खातेदार का नाम वीरी पुत्र चिरमोली दर्ज रिकार्ड है। वादी खातेदार ने अपना आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराई जिसमें वादी का नाम वीरेन्द्र पुत्र चिरमोली दर्ज है। मुताबिक मौके पर्चा जांच के अनुसार मजमेआम में वादी खातेदार के नाम की जांच कराई गई तो मजमेआम में उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि वीरी पुत्र चिरमोली एवं वीरेन्द्र पुत्र चिरमोली एक ही व्यक्ति के दो नाम बताये है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में स्वंम का शपथ पत्र पेश किया है।

अभिभाषक वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। अभिभाषक वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी वादी को जरिये विरासतन उनके पिता चिरमोली के मृत्यु के पश्चात प्राप्त हुई है उक्त विरासत का नामान्तरण खोलते समय हल्का पटवारी द्वारा वादी का बोलता हुआ नाम वीरी सिंह दर्ज कर दिया जबकि वादी के सभी पहचान दस्ताबेजात में सही नाम वीरेन्द्र सिंह दर्ज है एवं गांव में वादी को वीरी सिंह एवं वीरेन्द्रे सिंह दोनों नामों से पुकारा जाता है। वादी का सही नाम जमाबंदी में दर्ज नहीं होने के कारण वादी को अपनी खातेदारी भूमी के सही उपयोग उपभोग में परेशानी का सामना करना पडता है। जमाबंदी में वादी का नाम वीरी कलमजन कर उसके स्थान पर सही नाम वीरेन्द्र सिंह दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। वाद पत्र , जबाव तहसीलदार उच्चैन, शपथ पत्र एवं वाद पत्र के साथ संलग्न जमाबंदी सम्बत् 2069–72 एवं वादी के पहचान दस्ताबेज राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि का अवलोकन किया गया। वादी का सही नाम वीरेन्द्र सिंह जमाबंदी में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश हैः–

वादपत्र वादी डिक्री किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी मुताबिक जमाबंदी सम्बत् 2069–72 क्षेत्रफल बीघा–बिस्वा में ख.नं. 280, 286, 1037, 1048 कुल किता 4 एवं हाल जमाबंदी सम्बत् 2075–78 में ख.नं. 316, 327, 1231, 1250, 1251 में खातेदार वादी का नाम वीरी पुत्र चिरमोली को कलमजन कर उसके स्थान पर वीरेन्द्र सिंह पुत्र चिरमोली दर्ज रिकार्ड किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 26.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसौलिया (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज वीरेन्द्रसिंह बनाम तहसीलदार उ.प. 25/2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
27/11/2025	पत्रावली पेश हुई. पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर है। पूर्वानुसार 05/12/2025 को पेश हो।	
5/12/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 26/12/25 को पेश हो।	
26/12/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० वादी उपस्थित। वादपत्र वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा० मि० है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	